बिहार लोक सेवा आयोग,

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

वि॰सं॰--07 / 2018 के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में संगीत विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं.—07/2018 के अन्तर्गत साक्षात्कार कार्यक्रम एवं कट—ऑफ अधिभार अंक आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए कट—ऑफ अधिभार अंक के समतुल्य अथवा अधिक अंक होने का दावा करने वाले वैसे उम्मीदवार जिन्हें साक्षात्कार में आमंत्रित नहीं किया गया हो, से अपनी अधिभार अंक तालिका एवं संगत प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ दिनांक—16.02.2020 तक आपित्त अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में निम्नांकित आवेदकों से प्राप्त आपित्त अभ्यावेदनों के साथ संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरांत अद्ययतन रिथित निम्न प्रकार है:—

			आपत्ति अभ्यावेदन में आवेदक का	वर्तमान स्थिति
क्र.सं.	नाम	पंजीयन संख्या	दावा / अनुरोध	
1.	डॉ. गिरिधर कुमार श्रीवास्तव	201807000265	That the Orders dated 16.06.2014 passed in CWJC No-713/2013 and Orders dated 14.09.2018 passed in MJC No-631/2015 (Gridhar Kumar Shrivastava Vs. The State of Bihar and Ors.) which has accrued arise with the petitioner to be appointed as lecturer in Music. That the BPSC by Scapping all the previous actions with regard to the eligibility candidates (Advt.No - 07/2018 dated 27.01.2020) has committed a gross violation of the order of contempt of the Honourable High Court, BPSC has no power to scrap the order passed by Honourable Court and it should also bear in mind that a contempt application against BPSC vide MJC No-1113/2019 is still pending which is to be heard in no time. That the petitioner was also placed first in the eligibility test conducted by the "Bihar State University (Constituent Colleges) Service Commission, Patna"Bihar Eligibilit Test for Lectureship held on 17.08.1997. That the petitioner has also completed his Ph.D. With UGC Regulation 2009 in 2013.	उम्मीदवार है। सामान्य कोटि का कट—ऑफ अधिभार अंक 73.20 है। जबिक आवेदक का अधिभार अंक—51.05 है। कट—ऑफ अधिभार अंक से अतः कम अधिभार अंक रहने के कारण आवेदक साक्षात्कार में आमंत्रित किये जाने योग्य नहीं है।
2.	डॉ॰ समीत कुमार मल्लिक	201807000216	संगीत विषय से संबंधित विविध तथ्यों का उल्लेख करते हुए साक्षात्कार में आमंत्रित किये जाने का अनुरोध।	आवेदक द्वारा स्नांतकोत्तर के समकक्ष धारित उपाधि संगीत भारकर को विशेषज्ञ समिति द्वारा Not Fit माना गया है। आवेदक NET अथवा UGC Regulation 2009 के तहत Ph.D.उत्तीर्ण नहीं है। अतएव आवेदक अनर्हित से अर्हित किये जाने योग्य नहीं है।

3.	निर्मल कुमार	201807000268	आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्वय को अर्हित मानते हुए अनर्हित से अर्हित करने का अनुरोध।	Music अथवा Hindustani Music विषय (कोड़—16) में NET के स्थान पर आवेदक Percussion Intruments में NET उत्तीर्ण है। अतः आवेदक अनर्हित से अर्हित किये जाने योग्य नहीं है।
4.	मा अमृत दिशा	201807000105	अनर्हित से अर्हित करने का अनुरोध।	शिक्षा विभाग के पत्रांक—326 दिनांक—11.02.2020 के आलोक में आवेदिका को अनर्हित से अर्हित करते हुए कट—ऑफ अधिभार अंक से अधिक अधिभार अंक रहने के कारण साक्षात्कार में आमंत्रित किया गया है।
5.	मधुलता,	201807000146	अनर्हित से अर्हित करने का अनुरोध।	शिक्षा विभाग के
6.	लालित कुमारी	201807000259		पत्रांक-326 दिनांक-11.02.2020 के आलोक में दोनों उम्मीदवारों को अनिर्हित से अर्हित कर दिया गया है। दोनों सामान्य कोटि के उम्मीदवार है। सामान्य कोटि का कट-ऑफ अधिभार अंक 73.20 है। जबिक अभ्यर्थियों का अधिभार अंक क्रमशः 59.45 एवं 61.40 है। जो कट-ऑफ अधिभार अंक से कम है। अतः कम अधिभार अंक रहने के कारण दोनों उम्मीदवार साक्षात्कार में आमंत्रित किये जाने योग्य नहीं है।

१८०५५५ उप सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।